अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
जहाज़रानी सेवा निदेशालय
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
पोर्ट ब्लेयर – 744 101
PORT BLAIR - 744 101
****

File No. M/Estt/Afloat/2(3)/2023/Vol-VII/ 2086 Dated the 24th December'2025

To

The Manager,
Government Press,
Sri Vijaya Puram,
Andaman and Nicobar Administration.

Subject: Publication of Recruitment Rules in Andaman and Nicobar Gazette – reg.

Sir,

I am directed to refer to the approval conveyed by the Competent Authority and to request you to kindly arrange for the publication/notification of the Recruitment Rules for the following posts of the Directorate of Shipping Services in the Andaman and Nicobar Gazette at the earliest:

Chargeman (Mooring)

Lascar (Mooring)

Boat Builder (Mooring)

The approved Recruitment Rules are enclosed herewith for necessary action.

It is requested that 25 no's of copy of the Gazette notification may be forwarded to this Directorate for record and further action.

Necessary bills in duplicate may be sent to the Assistant Director (Admn), Directorate of Shipping Services, Sri Vijaya Puram, South Andaman - 744101 for making payment.

Yours faithfully,

Encl:A/A

Assistant Director (Admin)
Directorate of Shipping Services
Sri Vijaya Puram

Copy to:

1. PS to the Director of Shipping Services, Sri Vijaya Puram for kind information of the DSS.
2. PS to the Deputy Director (SS) for kind information of DD (SS)
3. Senior Accounts Officer, DSS for kind information.
4. The Assistant Manager (IT), DSS Sri Vijaya Puram with the request to upload the same in the Portal of Govt. Press, Sri Vijaya Puram for publishes of the same.

o/c

Assistant Director (Admin)

Ship-Section-Sectt

1/271983/2025

जहाजरानी सेवा निदेशक का निजी अनुभाग
Personal Section of DSS
प्राप्ती संख्या 4566 दिनांक 8/12/25
RD No 4566 Dt 8/12/25

Dockyard Establishment
R.D. No: 7808
Date: 09/12/2025

F.No. 42-517/2020-TR

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/SECRETARIAT

****

श्री विजय पुरम/Sri Vijaya Puram

दिनांक/dated the 02nd November, 2025

To

The Director of Shipping Services
A&N Islands
Port Blair

Sub: -Publish/Notify of Recruitment Rule for the posts of Chargeman (Mooring), Lascar (Mooring) & Boat Builder (Mooring) of DSS-reg.

*****

Sir,

I am directed to refer your letter dated 31.01.2025 on the above cited subject, and to convey approval of the Competent Authority to publish/notify the Recruitment Rule for the 03 posts viz. **Chargeman (Mooring), Lascar (Mooring), Boat Builder (Mooring)** of Directorate of Shipping services in the **Andaman and Nicobar Gazette** from Govt. Press, Sri Vijaya Puram.

It is therefore, requested to take further necessary action at your end and provided 03 copies of each notified RR to the Administrative Branch. In future the proposal for amendment of RR should be sent separately for each post so as to avoid unwanted delay.

Yours faithfully

Encl: A/A

उप सचिव(नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
[E-15596]

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT
****

Sri Vijaya Puram
दिनांक/dated the 02nd November, 2025

NOTIFICATION

No................../F.No.42-517/2020-TR. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11.04.1960, and in supersession of all previous Notifications, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the group 'C' (Non-Gazetted, Non Ministerial) posts of **Chargeman (Mooring), Lascar (Mooring) and Boat Builder (Mooring)** in the Directorate of Shipping Services, Andaman & Nicobar Administration, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(i) These Rules may be called the Andaman & Nicobar Administration (Chargeman (Mooring), Lascar (Mooring) and Boat Builder (Mooring) in the Directorate of Shipping Services) Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY:

The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in para 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND QUALIFICATION:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATION:

No Person-

a. Who has entered into a contracted marriage with a person having a spouse living, or
b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said post;

सत्यापित प्रति
Certified copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. POWERS TO RELAX:

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect of any class or category of persons.

6. SAVINGS:

Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit any other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedule Tribe and other specified categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(Admiral D.K. Joshi)
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands
By order and in the name of Lieutenant Governor

(S. Pandiammal)
Deputy Secretary (Shipping)

SCHEDULE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHARGEMAN (MOORING) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

1.	Name of the post	Chargeman (Mooring)
2.	No. of post	01 (One)* (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	Level-5 (₹29200-92300) in Pay Matrix
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6.	Age limit for direct recruitment.	18-33 years for male 18-38 years for female *(The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)* **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	**Essential:** (i) Must have passed Secondary School Examination (10th Std.) from a recognized Board/Institution. (ii) Diploma in Mechanical Engineering from a recognized Institution.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.नि.द्वी. प्रशासन
A & N Administration
सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर
Secretariat

		(iii) Should qualify in Written Examination/ Screening Test conducted by A&N Admn. or any authorized agencies under A&N Admn. (iv) Should qualify in the swimming test of a distance of 100 mtrs. within 3.00 minutes. **Desirable:** 02 years experience in the field.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Age : No EQ: No
9.	Period of probation, if any	02 (Two) years for direct recruitment. **Note:** *Successful completion of the training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation period.*
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	100% by promotion failing which by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	**Promotion:** From amongst Tindal Serang of Mooring Section under Afloat Establishment in Level-4 (₹25500-81100) in the pay matrix having 05 years regular service in the respective grade.
12.	If DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC (for considering cases of Promotion) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman. 2.Harbour Master, PMB - Member

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अं. नि. प्रशासन
A&N Administration

		3.Deputy Director (SS) – Member 4.Asstt. Director (Admn.), DSS - Member **Group 'C' DCC (for considering cases of Confirmation) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman. 2. Harbour Master, PMB-Member 3. Assistant Director (Admn.), DSS - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

JOB DESCRIPTION FOR THE POST OF CHARGEMAN (MOORING)

1. Preparation of wire sling cargo net. Accommodation ladder etc. for various vessels operated and manned by the Directorate.
2. Maintenance and painting of steel pantones of the department in all stations wherever necessary as required.
3. Fixing of channel marks etc. wherever required.
4. Construction, repair and maintenance of gangway jumping ladder for vessels manned by the department.
5. They shall attend all emergency call duties as and when required.
6. They will attend all work on board the department vessels as and when required for maintenance of the same.
7. Passing indents for jobs for department vessels and maintenance personal account.
8. Carryout periodical verification of stock register and indent register.
9. Supervision of all mooring staff.

10.Any other duties assigned by his superiors.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.तथा नि. प्रशासन
A & N Administration
सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर
Secretariat,

SCHEDULE-II

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LASCAR (MOORING) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

1.	Name of the post	Lascar (Mooring)
2.	No. of post	04 (Four)* (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	Level-1 (₹. 18000-56900) in Pay Matrix
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6.	Age limit for direct recruitment.	18-33 years for male 18-38 years for female *(The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)* **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	Essential: (i) Must have passed Secondary School Examination (10th Std.) from a recognized Board/Institution. (ii) Should qualify in the written examination/ screening test conducted by the A&N Administration or any other authorized agencies under A&N Administration.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.न.द्वी. नि. प्रशासन
A & N Administration

		(iii) Pass Trade Test and Should qualify swimming test of a distance of 100 mtr. within 04.00 minutes.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	No
9.	Period of probation, if any	02 (two) years for direct recruitment. **Note:** *Successful completion of the training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation period.*
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	100% by promotion failing which by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	**Promotion:** (i) From amongst the Regular Watchmen working under Afloat Establishment in Level-1 (₹ 18000-56900) in the pay matrix with 02 (Two) years regular service in the grade. (ii) Should qualify in the departmental trade test conducted by the Selection Committee duly constituted for this purpose. (iii) Should qualify swimming test of a distance of 100 mtrs. within 04.00 minutes.
12.	If DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC (for considering cases of Promotion) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman. 2.Harbour Master, PMB - Member 3.Deputy Director (SS) – Member 4.Asstt. Dircector (Admn.), DSS - Member

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (जहाजरानी)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.और नि. प्रशासन
A & N Administration
श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर

		Group 'C' DCC (for considering cases of Confirmation) consisting of: 1. Director of Shipping Services - Chairman. 2. Harbour Master, PMB-Member 3. Deputy Director (SS) – Member 4. Assistant Director (Admn.), DSS - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

JOB DESCRIPTION FOR THE POST OF LASCAR (MOORING)

1. Preparation of cargo rope nets, gange way, safety rope nets, whenever required in the vessels.
2. Ring buoys, grab line, buoyant grab line ropes check and replace whenever required in the vessels.
3. Collection of unserviceable tyres, holes and fasting with p.p. ropes and MS chain whenever required in the vessels.
4. Preparation of vessels toweing ropes, m.s. chain, sewing the onboard the vessels whenever required at outstations.
5. They will attend work onboard the departmental vessels as and whenever required for maintenance of the same work.
6. Any other duties assigned by his superiors.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
Administration
Secretariat,

SCHEDULE-III

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF BOAT BUILDER (MOORING) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

1.	Name of the post	Boat Builder (Mooring)
2.	No. of post	02 (two)* (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	Level-1 (₹18000-56900) in Pay Matrix
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6.	Age limit for direct recruitment.	18-33 years for male 18-38 years for female (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	Essential: i. Secondary School Examination (X[th] Std.) pass from a recognized Board or equivalent/Institution. ii. 05 years experience in Carpentry works. iii. ii) Should qualify in written examination / Screen Test conducted by A & N Administration or any authorized Agencies by A & N Administration.

Certified Copy

		iv. iii) Pass Trade Test and Swimming Test (Should swim a distance of 100 mtrs. within 04.00 minutes).
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	No
9.	Period of probation, if any	02 (two) years for direct recruitment. **Note:** *Successful completion of the training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation period.*
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	100% by promotion failing which by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	**Promotion:** (i) From amongst the Regular Mazdoors in Level-1 (₹ 18000-56900) in the pay matrix with 02 (Two) years regular service in the grade. (ii) Should pass in the departmental Trade Test conducted by the Selection Committee duly constituted for this purpose. (iii) Should qualify swimming test of a distance of 100 mtrs. within 04.00 minutes.
12.	If DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC (for considering cases of Promotion) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman. 2.Harbour Master, PMB - Member 3.Deputy Director (SS) – Member 4.Asstt. Director (Admn.), DSS - Member **Group 'C' DCC (for considering cases of Confirmation) consisting of:**

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.त.न. नि. प्रशासन
A. & N. Administration

		1. Director of Shipping Services - Chairman. 2. Harbour Master, PMB-Member 3. Deputy Director (SS) – Member 4. Asstt. Director (Admn.), DSS - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

JOB DESCRIPTION FOR THE POST OF BOAT BUILDER (MOORING)

1. Construction, repair and maintenance of gange way and embarkation ladder steps for departmental vessels.
2. Preparation of cargo rope nets, gange way, safety rope nets, whenever required in the vessels.
3. Ring buoys, grab line, buoyant grab line ropes check and replace whenever required in the vessels.
4. Collection of unserviceable tyres, holes and fasting with p.p. ropes and MS chain whenever required in the vessels.
5. Preparation of vessels toweing ropes, M.S. chain, sewing the onboard the vessels whenever required at outstations.
6. They will attend work onboard the department vessels as and where ever required for maintenance of the same work.
7. Any other duties assigned by his superiors.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
Administration
Secretariat,

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 02 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

सं........... / फा.सं. 42-517/2020-TR. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या. 14/3/60 -एएनएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदों से संबंधित भर्ती नियमावली को अधिसूचित करने के लिए जारी किए गए पूर्व के सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में धारित चार्जमैन (मूरिंग), लास्कर (मूरिंग), एवं बोट बिल्डर (मूरिंग)के वर्ग 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकीय) पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-**

(i) इन नियमों को ''अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय में चार्जमैन (मूरिंग), लास्कर (मूरिंग), एवं बोट बिल्डर (मूरिंग) की भर्ती नियमावली, 2025'' कहा जाएगा।

(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-**

उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं :-**

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

4. **अयोग्यताएँ:-** कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने -:

क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **ढील देने की शक्ति -:**

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. <u>व्यावृति</u> :-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के.जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम,वीएसएम(अवकाश प्राप्त)
उपराज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह0/-

(एस. पांडिअम्माल)

उप सचिव (नौवहन)

<u>अनुसूची-।</u>

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में चार्जमैन (मूरिंग) के पद की भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	चार्जमैन (मूरिंग)
2.	पदों की संख्या	1 (एक)* 2025 * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 5 (रुपए 29200-92300)
5.	चयन पद या गैर - चयनपद	गैर- चयनपद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूष के लिए 18-33 वर्ष महिला के लिए 18-38 वर्ष *(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी)* **<u>नोट :</u>** भारत के अन्य स्थानों के उमीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी, और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा(10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए । (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकानिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक होना चाहिए । (iii) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। (iv) 100 मीटर की दूरी की तैराकी परीक्षा को 3.00 मिनट की अवधि में पूरा करना होगा। **वांछनीय:** संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	सीधी भर्ती के लिए 2(दो) वर्ष नोट : परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि की प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 % पदोन्नति द्वारा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति:** अफ्लोट स्थापना के मूरिंग अनुभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -4 (25500-81100 रुपये) में कार्यरत टिंडाल सारंग में से जिन्होंने इस ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है** - 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3.उप निदेशक(नौवहन सेवा) -सदस्य 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य **स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है** - 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

चार्जमैन(मूरिंग) के पद का कार्य का विवरण

1. निदेशालय द्वारा कार्मिकों/कर्मी दल की तैनाती से संचालित विभिन्न जलयानों के लिए वायर स्लिंग कार्गो नेट, एकोमोडेशन लडार इत्यादि तैयार करना ।
2. आवश्यकता के अनुसार सभी स्टेशनों पर तैनात विभागीय स्टील पंटूनों का मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य करना ।
3. आवश्यकता के अनुसार चैनल मार्कस् आदि को लगाना ।
4. निदेशालय द्वारा कार्मिकों/कर्मी दल की तैनाती से संचालित जलयानों के लिए गैंगवे जंपिंग लडार का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण करना ।
5. जब कभी भी आवश्यक होगा उन्हें सभी आपातकालीन कॉल ड्यूटी के लिए उपस्थित होना होगा।
6. जब कभी भी आवश्यक होगा उन्हें विभाग के जलयानों पर सभी तरह के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन के लिए जलयान पर जाना होगा ।
7. विभागीय जलयानों में मरम्मत कार्यों के निष्पादन के लिए इंडेंट पास करना और प्रत्येक जलयान का लेखा -जोखा तैयार करना ।
8. समय-समय पर स्टॉक रजिस्टर और इंडेंट रजिस्टर का सत्यापन करना ।
9. सभी मूरिंग कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना ।
10. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी अन्य कार्यों का निष्पादन करना ।

अनुसूची-II

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में लास्कर (मूरिंग) के पद की भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	लास्कर (मूरिंग)
2.	पदों की संख्या	4 (चार)* 2025 * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (रुपए 18000-56900)
5.	चयन पद या गैर-चयनपद	गैर-चयनपद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूष के लिए 18-33 वर्ष महिला के लिए 18-38 वर्ष *(केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी)* **<u>नोट :</u>** भारत के अन्य स्थानों के उमीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी, और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य:** I. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा(10 वीं कक्षा)उत्तीर्ण होना चाहिए। II. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्ष /परीक्षा में उत्तीर्ण होना स्क्रीनिंग होगा। III. व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा और 100 मीटर की तैराकी परीक्षा को 4.00 मिनट की अवधि में उत्तीर्ण करना होगा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	सीधी भर्ती के लिए 2(दो) वर्ष । नोट : परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि की प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 % पदोन्नति द्वारा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती	**<u>पदोन्नति:</u>** (i) अफ्लोट स्थापना में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -1 (रुपए

	करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	18000-56900) में कार्यरत नियमित चौकीदारों में से जिन्होंने इस ग्रेड में 02 (दो) वर्ष की नियमित सेवा की हो । (ii) इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित चयन समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। (iii) 100 मीटर की तैराकी परीक्षा को 4.00 मिनट की अवधि में उत्तीर्ण करना होगा।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3.उप निदेशक(नौवहन सेवा) -सदस्य 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य **स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3. उप निदेशक(नौवहन सेवा) -सदस्य 3. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

<u>लास्कर (मूरिंग) के पद का कार्य का विवरण</u>

1. जलयानों के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर कार्गो रोप नेट, गैंग-वे, सेफ्टी रोप नेट बनाना ।
2. जलयानों में जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर रिंग बॉयस्, ग्रैब लाइन, बॉयंट ग्रैब लाइन रोप की जांच करना और बदलना ।
3. जलयानों के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर खराब टायर इकट्ठा करना, उसमें छिद्र करना तथा उसे पी पी रस्सी एवं एम एस चेन से बांधना ।
4. बाहरी स्टेशनों को जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर जलयान टोइंग रोप, एम एस चेन, जलयान पर सिलाई आदि का कार्य करना ।
5. उन्हें जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर विभागीय जलयानों पर मरम्मत कार्यों के निष्पादन के लिए उपस्थित होना होगा।
6. अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य करना ।

अनुसूची-III

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में बोट बिल्डर (मूरिंग) के पद की भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	बोट बिल्डर (मूरिंग)
2.	पदों की संख्या	2 (दो)* 2025 * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग ' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (रुपए 18000-56900)
5.	चयन पद या गैर-चयनपद	गैर- चयनपद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूष के लिए 18-33 वर्ष महिला के लिए 18-38 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी) **नोट :** भारत के अन्य स्थानों के उमीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी, और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य:** I. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा(10 वीं कक्षा)उत्तीर्ण होना चाहिए। II. बढ़ईगीरी के कार्य में 05 (पांच) वर्ष का अनुभव। III. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्ष /स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। IV. व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा और 100 मीटर की तैराकी परीक्षा को 4.00 मिनट की अवधि में उत्तीर्ण करना होगा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	सीधी भर्ती के लिए 2(दो) वर्ष । नोट : परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि की प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 % पदोन्नति द्वारा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति:** (i) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -1 (रुपए 18000-56900) में कार्यरत नियमित मजदूरों में से जिन्होंने इस ग्रेड में 02 (दो) वर्ष की नियमित सेवा की हो । (ii) इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित चयन समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। (iii) 100 मीटर की तैराकी परीक्षा को 4.00 मिनट की अवधि में उत्तीर्ण करना होगा।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3.उप निदेशक(नौवहन सेवा) -सदस्य 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य **स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. नौवहन सेवा निदेशक -अध्यक्ष 2. हर्बर मास्टर, पत्तन प्रबंधन बोर्ड -सदस्य 3. उप निदेशक(नौवहन सेवा) -सदस्य 3. सहायक निदेशक(प्रशासन) नौवहन सेवा निदेशालय -सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

<u>लास्कर (मूरिंग) के पद का कार्य का विवरण</u>

1. विभागीय जलयानों के लिए में गैंग-वे और एम्बरकेशन लैडर स्टेप्स् का निर्माण , मरम्मत एवं अनुरक्षण करना ।
2. जलयानों के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर कार्गो रोप नेट, गैंग-वे, सेफ्टी रोप नेट बनाना ।
3. जलयानों में जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर रिंग बॉयस्, ग्रैब लाइन, बॉयंट ग्रैब लाइन रोप की जांच करना और बदलना ।
4. जलयानों के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर खराब टायर इकट्ठा करना, उसमें छिद्र करना तथा उसे पी पी रस्सी एवं एम एस चेन से बांधना ।
5. बाहरी स्टेशनों को जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर जलयान टोइंग रोप, एम एस चेन, जलयान पर सिलाई आदि का कार्य करना ।
6. उन्हें जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर विभागीय जलयानों पर मरम्मत कार्यों के निष्पादन के लिए उपस्थित होना होगा।
7. अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य करना ।